

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

संख्या :- 110/2018 रे० वाद

संख्या वाद - 53, 188 आर० टी० एक्ट

अनवान

उनवान प्रकरण

श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी फूंकिया तहसील सहाड़ा
भीलवाड़ा।

बनाम

1. मधु पिता लक्ष्मण जाट
2. कनराज पिता लक्ष्मण जाट
3. मु० हंजा बेवा लक्ष्मण जाट
सर्व निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु० कमला पुत्री लक्ष्मण जाट पत्नि रोशन जाट निवासी उल्लाई हाल
बटावटी तहसील राशमी जिला भीलवाड़ा।
5. मु० देऊ पुत्री लक्ष्मण जाट पत्नि सोहनलाल जाट निवासी उल्लाई हाल
बटावटी तहसील राशमी जिला भीलवाड़ा।
6. मु० नोहनी बेवा गंगराम जाट निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. ICICI बैंक शाखा कांगणी तहसील सहाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक - 02/09

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ने विषयान्तर्गत
कर निवेदन किया कि ग्राम उल्लाई तहसील सहाड़ा के आराजी संख्या
1.33 हे० 2148 रकबा 0.18 हे० 2149 रकबा 0.93 हे० 2153 रकबा 0
3239 रकबा 1.52 हे० 2261 रकबा 1.16 हे० 2266 रकबा 0.15 हे० 2267 र
2268 रकबा 0.14 हे० कुल किता 09 रकबा 4.73 हे० भूमि जमाबन्दी सम्ब
के राजस्व खाता संख्या 329 पर स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात का
एक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूपसे
प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा निहीत है। वादीया एवं प्रतिवादी संख
6 अपने अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते
हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा करा
लेने में अड़चन आती है। संयुक्त आराजीयात के हिस्से का विभाजन कराय
खाता कायम करवाया जाए। वाद जैज प्रकरण दिनांक 10/07/2018

//02//

प्रकरण संख्या :-110/20
अर्न्तगत धारा:- 53, 188 आ

को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 14.05.2019 को वाद
किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश
दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया
पर उभय पक्षो को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिह
अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

—:आदेश:—


वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है
प्रतिवादी संख्या एक लगायत छः के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का
अनुसार किया जाता है।

1. स्वामीदेवी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी फुंकिया खातेदार रहन बी0ओ0बी0 गं
आ0नं0 रकबा
2149/2 0.39
कुल किता 1 कुल 0.39

2. मोहनी बेवा गंगाराम 6/11 पप्पु धनराज कमला देऊ पिता लक्ष्मण हंजा बे
6/11 खातेदार रहन बी0ओ0बी0 गंगापुर मोहनी रहन ICICI शाखा कांग
धनराज, हंजा।

आ0नं0	रकबा
2144	0.33
2148	0.18
2149/1	0.54
2153	0.17
2180/3239	1.52
2261	1.16
2266	0.15
2267	0.15
2268	0.14
कुल किता 9	कुल 4.34

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में
प्लॉट-प्लॉट खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र
का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन
जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/09/2019 को खुल
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगा
पीठासीन अधिकारी सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

संख्या -110/2018 रे.वाद

संख्या -53, 188 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

श्रीमती नवरीदेवी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी फूंकिया तहसील सहाड़ा जिला भील

बनाम

1. पप्पु पिता लक्ष्मण जाट
2. धनराज पिता लक्ष्मण जाट
3. मु० हंजा बेवा लक्ष्मण जाट
सर्व निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु० कमला पुत्री लक्ष्मण जाट पत्नि रोशन जाट निवासी उल्लाई हाल निवास चटाव
राजनी जिला भीलवाड़ा।
5. मु० देऊ पुत्री लक्ष्मण जाट पत्नि सोहनलाल जाट निवासी उल्लाई हाल निवास
तहसील राशमी जिला भीलवाड़ा।
6. मु० मोहनी बेवा गंगाराम जाट निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. ICICI बैंक शाखा कांगणी तहसील सहाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रति

दिनांक 02/

आदेश में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया और
सहायक एक लगायत छः के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार
किया है।

1. नवरीदेवी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी फूंकिया खातेदार रहन बी०ओ०बी० गंगपुर।
आ०नं० रकबा
2149/2 0.39
कुल किता 1 कुल 0.39

2. मोहनी बेवा गंगाराम 6/11 पप्पु धनराज कमला देऊ पिता लक्ष्मण हंजा बेवा लक्ष्मण
खातेदार रहन बी०ओ०बी० गंगपुर मोहनी रहन ICICI शाखा कांगणी हिस्सा धनराज, हंजा
आ०नं० रकबा
2144 0.33
2148 0.18
2149/1 0.54
2153 0.17
2180/3239 1.52
2261 1.16
2266 0.15
2267 0.15
2268 0.14
कुल किता 9 कुल 4.34


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

क्रम

//02//


प्रकरण संख्या :-110/2018
अर्न्तगत धारा:- 53, 188 आर०

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्
किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश
दिया है। उर्वा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज
02/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(सी०एल० शाखा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज०)

आज दिनांक 02/09/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की




सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ी(राज०)